महत्वपूर्ण

संख्या– 103 / नौ–9–2015–195द्वि0रा0वि0आ0 / 04

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
पीसीएफ बिल्डिंग,स्टेशन रोड,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9   लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2015

विषय :– उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति(प्रकिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का कियान्वयन) नियमावली–2011 के अन्तर्गत महानगर योजना समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अधिसूचना संख्या–1837 / नौ–9–2011–195द्वि0रा0वि0आ0 / 04, दिनांक 08 अगस्त,2011(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति(प्रकिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का कियान्वयन) नियमावली–2011 का प्रकाशन किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली के नियम–4 के उपनियम–1 के अधीन अधिसूचना संख्या–595 / नौ–9–2014 –195द्वि0रा0वि0आ0 / 04, दिनांक 22 मई,2014 द्वारा महानगर क्षेत्र के लिये महानगर योजना समिति के सदस्यों की संख्या–30 निर्धारित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम–4(2) में यह व्यवस्था दी गयी है कि सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा और उनमें से उस क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे तथा उपनियम–3 (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक तिहाई सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति (प्रकिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का कियान्वयन) नियमावली–2011 के नियम–7 में निम्न प्राविधान किया गया है कि–

" राज्य निर्वाचन आयोग के पास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचनों तथा उनके संचालन के लिये निर्वाचक नामावली को यथाविहित रूप में तैयार कर अधिक्षण,निदेश व नियंत्रण होगा। "

3. यह भी उल्लेखनीय है कि नगर विकास अनुभाग–7 की अधिसूचना दिनांक 30नवम्बर,2006 द्वारा वाराणसी,मेरठ,लखनऊ,कानपुर,आगरा एवं इलाहाबाद महानगर क्षेत्र संविधान के भाग–9 के प्रयोजनार्थ घोषित किया गया है। उक्त महानगर क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिसूचना की प्रति भी संलग्न है। कृपया उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति (प्रकिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का कियान्वयन) नियमावली–2011 के नियम–7 के प्राविधानों के अनुसार महानगर क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा और उनमें से उस क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायतों की

जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार महानगर योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या– 103 (1)/नौ–9–2015,तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव,निर्वाचन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
3. नगर आयुक्त,नगर निगम,आगरा,वाराणसी,इलाहाबाद,लखनऊ, मेरठ एवं कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति(प्रक्रिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का क्रियान्वयन) नियमावली–2011के नियम–4(2) में यह व्यवस्था दी गयी है कि सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा और उनमें से उस क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचन करायेजाने के सम्बध में आवश्यक सूचनायें/विवरण राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

Spgo-2